अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या-३, गाजियाबाद।
विविध वाद संख्या १२२५/२०१५
लक्का कुलशेखरा बनाम मुनीश कुमार
मु०अ०सं० ३३१/२०१४
धारा-४०८ भा०द०सं०
थाना- सिहानीगेट, गाजियाबाद।

१७.११.२०१८

पत्रावली आज आदेशार्थ प्रस्तुत हुई। विगत तिथि पर अंतिम रिपोर्ट के विरूद्ध वादी मुकदमा द्वारा प्रस्तुत विरोध याचिका पर वादिया मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता को विस्तार पूर्वक सुना जा चुका है। पत्रावली का अवलोकन किया।

संक्षेप में विरोध याचिका के कथन इस प्रकार हैं कि विवेचक के द्वारा मामले में विवेचना सम्यक प्रकार से न करते हुए अभियुक्त को फायदा पहुँचाने की नीयत से सतही कार्यवाही की गई है। विवेचक द्वारा मामले में अभियुक्त को तलाशने का प्रयास नहीं किया गया है तथ मामले में एफ.आर. प्रस्तुत कर दी गई है। ऐसी दशा में एफ.आर. निरस्त किये जाने योग्य है।

प्रस्तुत प्रकरण में वादी मुकदमा द्वारा मनप्पुरम फाईनेंस लि० के प्रतिनिधि द्वारा कम्पनी के कर्मचारी मुनीश कुमार द्वारा कम्पनी के सोने के आभूषणों का समाधान दुराशय पूर्वक करके कम्पनी को नुकसान पहुँचाने के सम्बन्ध में कार्यवाही किये जाने हेतु तहरीर दी गई जिस पर मु०अ०सं० ३३१/२०१४ दिनांक १४.०३.२०१४ को पंजीकृत होकर विवेचना की गई तथा विवेचक द्वारा अभियुक्त का पता न चलने के आधार पर अंतिम आख्या प्रस्तुत कर दी गई। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि कम्पनी द्वारा अभियुक्त मुनीश कुमार द्वारा प्रस्तुत आवेदन की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसमें अभियुक्त का नाम व पता, पेन नंबर, सम्पर्क सूत्र तथा उसका मोबाईल नंबर आदि का उल्लेख किया गया है परन्तु विवेचक द्वारा मामले में वादी द्वारा उपलब्ध करायी सूचना के आधार पर अभियुक्त की तलाश सम्यक रूप से नहीं की हो, ऐसा सी.डी. पर्चों से प्रतीत नहीं होता है। ऐसी दशा में विवेचक द्वारा प्रस्तुत विवेचना का परिणाम तर्क सम्मत न होने के कारण स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

मामले के तथ्यों एवं परिस्थितयों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट स्थिर रहने योग्य नहीं है तथा अंतिम रिपोर्ट को निरस्त करते हुए मामले में अग्रिम विवेचना कराये जाने का आधार पर्याप्त है।

आदेश

वादी मुकदमा द्वारा प्रस्तुत प्रोटेस्ट प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। मु०अ०सं०-३३१/२०१४ धारा- ३०८ भा०द०सं० थाना सिहानीगेट के मामले में विवेचक द्वारा प्रेषित अन्तिम रिपोर्ट दिनांकित १३.०६.२०१५ निरस्त की जाती है।

थानाध्यक्ष, सिहानीगेट को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रस्तुत प्रकरण में अग्रिम विवेचना कराया जाना सुनिश्चित करें।

(लोकेश कुमार)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कोर्ट सं०-३,गाजियाबाद।